

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

[पोर्टफोलियो प्रबंधक] विनियम, 2020
(PORTFOLIO MANAGERS) REGULATIONS, 2020
(विनियम 10)
(Regulation 10)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

- I बोर्ड, पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत बनाए गए विनियमों के साथ पठित उस अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा
- I In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 read with the regulations made thereunder for the Portfolio Managers, the Board hereby grants a certificate of registration to

Prosperity Wealth Management Private Limited
14 Dr.SVKS Thangaraj Road
Vinayagar Nagar
MADURAI
625020
TAMIL NADU
INDIA
(Registered w.e.f. September 10, 2020)

को अधिनियम में और उसके तहत बनाए गए विनियमों में दी हुई शर्तों के अधीन, पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।
as a **Portfolio Manager** subject to the conditions specified in the act and in the regulations made thereunder.

II. पोर्टफोलियो प्रबंधक की रजिस्ट्रीकरण संख्या है : पो. प्र./

II. Registration Number for the Portfolio Manager is P M/

INP000007049

III. यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक मान्य रहेगा, जब तक इसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 के अनुसार निलंबित न कर दिया जाए, रद्द न कर दिया जाए या उसे वापस न सौंप दिया जाए (अभ्यर्पित न कर दिया जाए)।

III. This certificate of registration shall be valid till it is suspended, cancelled or surrendered in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020.

स्थान Place :

Mumbai

तारीख Date :

October 27, 2020



आदेश द्वारा
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

के लिए और उसकी ओर से
By order
and on behalf of
Securities and Exchange Board of India

★ **NAVEEN SHARMA**
आधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory